कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल
Phone- 0755-2540590, 405000 **Fax-**0755-2541376 **Email-** deangmc_bpl@yahoo.co.in
Website: - www.gmcbhopal.net

क्रमांक............................/एम.सी./4/स्था/ राज/2023 भोपाल, दिनॉक........ / /2023

//आदेश//

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था भोपाल की चयन समिति द्वारा निम्नांकित विभाग के **जुनियर रेसीडेंट** के पद पर कार्यभार ग्रहण दिनांक से **सीमित 01 वर्ष पदावधि (Tenure)** हेतु उम्मीदवार को चयनित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उम्मीदवार को **जुनियर रेसीडेंट** के पद पर **निश्चित वेतन रू 56,355/– प्रतिमाह** पर नियुक्त किया जाता है।

विषय	पद विज्ञापित श्रेणी	चयनित उम्मीद्वार का नाम
GASTROENTROLOGY (MEDICINE)	UR	डॉ. बेनजीर आलम, पिता– मो. नवाब
DERMATOLOGY	UR	डॉ. ऐश्वर्या राय, पिता– लक्ष्मी नारायण राय
	ST	डॉ. पियुष देवदा, पिता– महेन्द्र सिंह देवदा
RESPIRATORY MEDICINE	UR	डॉ. युसरा अंसारी, पिता– तारिक उद्दीन अंसारी
		डॉ. राशिद अंसारी, पिता– याशिन अंसारी
		डॉ. दीपक पांचोली, पिता– गिरधारी पांचोली
	OBC	डॉ. आनन्द यादव, पिता– ब्रज बिहारी यादव
		डॉ. राकेश मदारिया, पिता– जगदीश मदारिया
	ST	डॉ. पियूष देवदा, पिता– महेन्द्र सिंह देवदा
	SC	डॉ. सौरभ डोंगरे, पिता– रामचन्द्र डोंगरे
PSYCHIATRY	ST	डॉ. राहुल आजनार, पिता– बंसत आजनार

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :–

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनका कार्यभार ग्रहण करना मान्य नही किया जायेगा ।
2. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के **10 दिवस** में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

निरंतर पेज–[2]

3. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में सम्बंधित द्वारा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी । संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसकी एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोंडने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
4. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
5. यह नियुक्ति **एक वर्ष** हेतु है, इस नियुक्ति के तहत आवेदक को महाविद्यालय के अंतर्गत किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी एवं एक वर्ष बाद सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
6. इस नियुक्ति में अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पि.व / महिला के पदो के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है । शासन के पत्र क्रमांक एफ–2–42 / 07 / 01 / 55 दिनांक 23.08.2007 के नियमानुसार एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल का पत्र क्र 120 / स्था / राज / 2021 भोपाल दिनांक 24.12.2021 जूनियर एवं सीनियर रेसिडेन्ट की चयन पद्धति के आरक्षण बिन्दु (III) के अनुसार चयन किया गया।
7. यह नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी । संस्था अपनी सेवाशर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी ।
8. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं होगी।
9. संस्था के किसी भी कर्मचारी / अधिकारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है ।
10. इन चिकित्सकों को एक वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी साथ ही उन्हे सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा।
11. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी। पुलिस वेरीफिकेशन में प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर नियुक्ति बिना सूचना के समाप्त की जा सकती है ।
12. रेसीडेंट से संबंधित सभी मामलों में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
13. जुनियर रेसीडेंट को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी ।
14. प्रत्याशी अगर म.प्र. शासन के अंतर्गत ग्रामीण सेवा का अनुबंधित हो तो उस पर म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 4–7 / 2010 / 1 / 55 दिनांक 25.08.2010 के अनुसार ग्रामीण सेवा संबंधी नियम लागू होंगे। चयन होने पर उम्मीदवार को संचालनालय स्वास्थ्य सेवा से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।

निरंतर पेज–[3]

15. चयनीत प्रत्याशी जुनियर रेसीडेंट की अवांछनीय गतिविधि अनुपस्थिति पर कार्यवाही जुनियर रेसीडेंट सेवा नियम 2020 में लिखित अनुशासन तथा नियंत्रण में उल्लेखित शर्तो के आधार पर की जावेगी।
16. अन्य पिछड़ा वर्ग से चयनित उम्मीदवार को वर्ष 2022–23 का आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
17. प्रशासनिक कारणों से आपकी सेवाये आकस्मिक चिकित्सा विभाग अथवा अन्य विभागो में ली जा सकेगी।
18. **मध्यप्रदेश मेडिकल कांउसिल से एक माह मे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।**

//
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्र. 3745-3/एम.सी./4/स्था/ राज/2023 भोपाल दिनांक 26/09/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल ।
3. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष ....विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
4. अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।
5. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल ।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी गांधी, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल ।
7. संबंधित चिकित्सक गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल